

# देव संस्कृति विश्वविद्यालय

कार्मिक एवं प्रोटोकॉल विभाग

विश्वविद्यालय में प्रवेश हेतु राज्य सरकार द्वारा निर्धारित आरक्षण नीति का पालन किया जाता है। इसमें राज्य सरकार द्वारा निम्नानुसार आरक्षण की व्यवस्था दी गई है-

अन्य पिछड़ा वर्ग	14%
अनुसूचित जाति	19%
अनुसूचित जनजाति	4%
आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग	10%

देव संस्कृति विश्वविद्यालय आवासीय प्रकृति का होने के कारण विश्वविद्यालय में एक-एक सीट पर प्रवेश होना आवश्यक हो जाता है। यह भी विचाराणीय है कि देव संस्कृति विश्वविद्यालय अपनी प्रकृति, उद्देश्यों की पूर्ति के लिए विद्यार्थियों से शुल्क के रूप में बहुत ही कम चार्ज करता है जिसके कारण सीट खाली नहीं रखी जा सकती है। आरक्षित श्रेणी के विद्यार्थियों के लिए न्यूनतम शैक्षिक योग्यता में भी छूट प्रदान की जाती है जबकि सामान्य श्रेणी के लिए ऐसी कोई व्यवस्था नहीं है।

ऐसी परिस्थिति में यह आवश्यक हो जाता है कि यदि आरक्षित श्रेणी में संख्या से कम आवेदन प्राप्त होते हैं अथवा कम संख्या में प्रवेश के लिए छात्र आते हैं या छात्र प्रवेश नहीं लेते हैं तो संस्था हित को ध्यान में रखते हुए ऐसी स्थिति में आरक्षित सीट को सामान्य श्रेणी से भरे जाने का प्रस्ताव अनुमोदन के लिए प्रस्तुत है।

कार्मिक एवं प्रोटोकॉल आफिसर

आ० प्रति-कुलपति जी

Approved

08/04/2024

forwarded to H11 Chancell



SHARAD PARDHY  
Vice Chancellor  
Dev Sanskriti Vishwavidyalaya  
Gayatrikunj, Shantikunj,  
Haridwar 249411



**Translated Version**

The Reservation policy prescribed by the state government is followed for admission to the university. The reservation system as defined by the state government is as follows:

Other Backward Classes (OBC) 14%

Scheduled Castes (SC) 19%

Scheduled Tribes (ST) 4%

Economically Weaker Section 10%

Since Dev Sanskriti Vishwavidyalaya is a residential university, it is necessary to ensure that each seat is filled. It is noteworthy that, due to its unique nature and objectives, the university charges minimal fees from students, making it impractical to leave seats vacant. Reserved category students are also given relaxation in minimum educational qualifications, which is not applicable to the general category

In such a scenario, it becomes essential to address situations where fewer applications are received from reserved category students, fewer students from these categories enroll, or they choose not to take admission. In the interest of the institution, it is proposed that reserved seats, in such cases, be filled from the general category. This proposal is submitted for approval.

Personnel and Protocol Officer

Pro Vice-Chancellor

**SHARAD PARDHY**

Vice Chancellor

Hon'ble Vice-Chancellor

Dev Sanskriti Vishwavidyalaya  
Gayatrikunj, Shantikunj,  
Haridwar 249411

Hon'ble Chancellor